संख्या– 06/47–का–3–2018– 9/14/2016

प्रेषक,

कुमार राघवेन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,
सेक्टर–डी0, अलीगंज लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग–3 लखनऊ :: दिनांक **19** फरवरी, 2018

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–2018 के अन्तर्गत व्यय के लिए उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी एवं सेन्टर फार गुड गवर्नेन्स के पत्रांक–XI-06/2010(VoII.VII)/1409, दिनांक–04.01.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी परिसर स्थित सेन्टर फार गुड गवर्नेन्स, लखनऊ के व्यय हेतु सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) अनुदान/राज सहायता तथा वेतन भत्ते आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017–2018 हेतु आय–व्ययक के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग अधिनियम,2017 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या–2 सन् 2017) द्वारा मानक मद संख्या–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) की मद में स्वीकृत व्यय के लिए रू0–18,75,000/–(रू0 अठ्ठारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि का 5/12 भाग अर्थात रू0 7,81,250/–(रूपये सात लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–06 /2017 /1166/ 47–का–3–2017–9 /14/2016 दिनांक 21 जून, 2017 द्वारा अवमुक्त किया गया है । श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष–2017–2018 के लिए आय–व्ययक के अन्तर्गत अवशेष 07 माह(01 सितम्बर, 2017 से मार्च,2018) हेतु अनुदान सख्या–19 के लेखाशीर्षक–2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं–003 प्रशिक्षण–800–अन्य–04–सेन्टर फार गुड गवर्नेन्स के निम्नलिखित मानक मद /उपशीर्ष के सम्मुख अंकित धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर प्रथम एवं द्वितीय किस्त का सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा :–

धनराशि (रूपये में)

उपशीर्ष/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए प्राविधानित आय–व्ययक/ अनुदान धनराशि	शासनादेश दिनांक 21.06.2017 द्वारा 05माह के लिए निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	(सितम्बर, 2017 से मार्च 2018 तक) अवमुक्त की जाने वाली अन्तिम किश्त की धनराशि
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	18,75,000.00	7,81,250.00	10,93,750.00
योग	18,75,000.00	7,81,250.00	10,93,750.00

(रू0 दस लाख तिरान्बे हजार सात सौ पचास मात्र)

2– इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जाएगा।

3– विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत/उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग चालू योजनाओं पर किया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2017–2018 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

4– उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय किया जाएगा तथा उक्त धनराशि का बिल महानिदेशक, उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा तैयार किया जाएगा एवं उक्त बिल को उपसचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जाएगा।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

6– विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आबंटन एवं आबंटित /वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–18/94 दिनांक 6 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए 934/दस–2008 मित–1/2007 दिनांक–02–9–2008 का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा, किसी भी दशा में धनराशि आहरित करके बैंक/डाकखाने में जमा नहीं की जाएगी।

9– उ0प्र0 के बजट मैनुअल के पैरा–88 के प्राविधानानुसार किया जाने वाला व्यय कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना महानिदेशक, उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी का उत्तरदायित्व होगा। इस संदर्भ में बी0एम0–13 के प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह कार्मिक विभाग के साथ–साथ (वित्त–नियंत्रण) अनुभाग–5 को सूचना उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

10– वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक– 2070–अन्य अन्य प्रशासनिक सेवाएं–003 प्रशिक्षण–800–अन्य–04–सेन्टर फार गुड गवर्नेन्स के उपशीर्ष– 20– सहायता अनुदान–समान्य (गैर वेतन) के लिए माह सितम्बर, 2017 से मार्च,2018 तक रू0 10,93,750.00(रूपये दस लाख तिरान्बे हजार सात सौ पचास मात्र) के मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नाम डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग अ0शा0प0सं0–ई–5–207/दस–2018 दिनांक 19 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुमार राघवेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–06(1)/47–का–3–2018–9/114/2016तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– उपसचिव, (नियुक्ति अनुभाग)–9 उ0प्र0शासन को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6– नियुक्ति अनुभाग–9 (लेखा कोष्ठक) उ0प्र0शासन ।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5 उ0प्र0शासन।
8– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2 उ0प्र0शासन।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
उप सचिव।